Seventeenth Series, Vol. XXV No.03

Monday, July 24, 2023
Sravana 02, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 03, Monday, July 24, 2023/ Sravana 02, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 41 to 45	13-25
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 46 to 60	26-107
Unstarred Question Nos. 461 to 690	108-773

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 774-802

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
42nd Report 802

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
348th to 351st Reports 803

STATEMENTS BY MINISTERS 804

(i) Status of implementation of recommendations contained in the 55th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance
Shri Pankaj Chaudhary 804

(ii) Status of implementation of the recommendations / observations contained in the 241st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region
Shri B.L. Verma 804

ELECTION TO COMMITTEE
Court of Aligarh Muslim University 805

DNA TECHNOLOGY (USE AND APPLICATION) REGULATION BILL, 2019 806-807

GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED 808-811
(i) National Nursing and Midwifery Commission Bill, 2023 808
(ii) National Dental Commission Bill, 2023 809-810
(iii) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2023 811

MATTERS UNDER RULE 377 813-843

(i) Need to simplify the software pertaining to implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

Shri Naranbhai Kachhadiya 814

(ii) Need to provide stoppage of Train No. 14803/14804 at Dhanera Railway Station in Banaskantha Parliamentary Constituency

Shri Parbatbhai Savabhai Patel 815

(iii) Need for CBI inquiry to investigate the alleged case of spurious seeds in Wardha district, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas 816

(iv) Regarding closure of it is

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 817

(v) Need to develop Devrahi Mata Mandir in Deoria District, UP as a tourist place

Dr. Ramapati Ram Tripathi 818

(vi) Regarding establishment of National Rice Research Institute in Jaleswar, Odisha

Shri Pratap Chandra Sarangi 819-820

(vii) Regarding flood and land erosion caused by Ganga and Phulhar rivers in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency

Shri Khagen Murmu 821

(viii) Need to provide immediate central assistance to flood affected areas in Ganganagar Parliamentary Constituency

Shri Nihal Chand Chouhan 822

(ix) Need to investigate alleged harassment of faculty members of AIIMS in Raipur, Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 823

(x) Regarding implementation of 'Har Ghar Nal Yojana' in Chhattisgarh

Shri Sunil Kumar Soni 824

(xi) Need to expedite the construction of North Koel Reservoir Project and provide compensation to the people displaced due to the project

Shri Vishnu Dayal Ram 825

(xii) Need to regulate the social media

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 826

(xiii) Regarding provision of stringent law to punish culprits involved in crimes against women

Shrimati Jaskaur Meena 827

(xiv) Need to re-open of Land Immigration Checkpost at Radhikapur, West Bengal

Sushri Debasree Chaudhuri 828

(xv) Need to take remedial measures to check the increasing number of cancer patients due to polluted water in Gwalior Parliamentary Constituency

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 829

(xvi) Regarding poll-related violence in West Bengal

Shrimati Locket Chatterjee 830

(xvii) Regarding fatal accidents in Muthalapozhi fishing harbour in Kerala

Adv. Adoor Prakash 831

(xviii) Need to construct granite stone barrier along the coast to protect the villagers of Puducherry and Karaikal

Shri Ve. Vaithilingam 832

(xix) Regarding stoppage of train at Ottappalam and Pattambi in Kerala

Shri V. K. Sreekandan 833

(xx) Need to conduct various examinations for recruitment in central government services in Tamil language and also to improve the employment opportunities for the youths of Tamil Nadu

Shri C. N. Annadurai 834

(xxi) Regarding problems faced by shuttlecock manufactures in Uluberia Parliamentary Constituency

Shrimati Sajda Ahmed 835

(xxii) Regarding completion of Kotipalli – Narasapuram railway line in Andhra Pradesh

Shri Raghu Rama Krishna Raju 836

(xxiii) Need to establish educational institutions of excellence in the country to stop migration of students

Shri Shrirang Appa Barne 837

(xxiv) Need to expedite construction of bridge over Punpun river in Aurangabad district, Bihar

Shri Mahabali Singh 838

(xxv) Regarding educational facilities for tribals in Keonjhar district in Odisha

Kumari Chandrani Murmu 839

(xxvi) Need to check atrocities against Dalits

Shri Malook Nagar 840

(xxvii) Need to provide stoppage of trains at railway stations in Khagaria Parliamentary Constituency

Choudhary Mehboob Ali Kaiser 841

(xxviii) Regarding recent incident of violence in Manipur

Shrimati Supriya Sadanand Sule 842

(xxix) Regarding measures to give impetus to the textile sector

Shri P.R. Natarajan 843

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 814

Member-wise Index to Unstarred Questions 815-821

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 822

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 823

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 24, 2023/ Sravana 02, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम बहुत विनम्रता के साथ एक छोटी-सी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिन से यह बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब सदन में आकर एक *suo moto* स्टेटमेंट दें। … (व्यवधान) इससे आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, प्रहलाद जी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जिस विषय को उठाना चाहते हैं, उस पर सारा सदन चर्चा करने के लिए तैयार है। आप अभी बारह बजे के बाद चर्चा शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कौन आकर जवाब देगा, यह आप तय करने वाले नहीं हैं। उस विभाग के जो मंत्री हैं, वे जवाब देंगे।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; **कोयला मंत्री तथा खान मंत्री** (**श्री प्रहलाद जोशी**): माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन के उपनेता ने भी पूर्व में कहा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी तक अध्यक्षपीठ से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सदन को चलाएं।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। … (व्यवधान) ये क्या बोल रहे हैं? सरकार चर्चा के लिए तैयार है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, चर्चा, संवाद और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। आप जिन लोगों और जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, उन पर चर्चा से ही समाधान निकलेगा।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट के एमपीज मेरे पास आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा करो। … (व्यवधान) इसके बावजूद भी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनकी मंशा क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य केवल सदन की कार्यवाही को बाधित करने का है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका आग्रह मान रहा हूं। सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें।

… (व्यवधान)

<u>11.03 hrs</u>

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri A. Raja, Prof. Sougata Ray, Shri Kaushlendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, हम मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं ।… (व्यवधान) लेकिन, फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। आपको जनता ने पोस्टर लेकर आने के लिए नहीं भेजा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्न काल होगा। प्रश्न काल के बाद चर्चा होगी। प्रश्न काल महत्वपूर्ण है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आपके नेता ने चर्चा के लिए कहा है और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नारेबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते है, उनके लिए चर्चा, संवाद करें तथा अच्छे सुझाव दें। सरकार उन सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद करके समस्या का समाधान निकाले, सरकार उसे लागू करेगी।

… (व्यवधान)

11.05 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 41, श्री सुब्रत पाठक जी।

… (व्यवधान)

(Q. 41)

श्री सुब्रत पाठक : महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?…(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश और बिहार की उन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?…(व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 153 परियोजनाएं लंबित हैं। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसका भी उत्तर लिखित रूप से विस्तार में दिया गया है।…(व्यवधान)

श्री सुब्रत पाठक : महोदय, पर्यावरण की दृष्टि से मेरे कन्नौज लोक सभा क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी झीलें हैं। विशेष रूप से रसूलाबाद तहसील में इटैली झील और कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार है।**…**(व्यवधान) पर्यावरण की दृष्टि से उनका उद्धार किया जाए और वहां जो कई जमीनों पर कब्जा हुआ है, उनको भी मुक्त कराया जाए।**…**(व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह एन्वॉयरमेंट क्लीयरेंस से संबंधित नहीं है, वह झीलों से संबंधित है। अगर वह इस विषय को मेरे संज्ञान में लाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा।**…**(व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु : महोदय, राज्यों और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए हैं तथा क्या कार्रवाई की गई है? हमारे देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ब्यौरा मांगा है, वह लिखित में अनुबंध – 1 के रूप में लगाया गया है, जिसमें राज्यानुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं। उनकी जानकारी दे दी गई है।**...**(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 42, इंजीनियर गुमान सिंह दामोर।

(Q. 42)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजातीय मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मूल प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैंने जो सवाल किया था, इसमें सारी बातें सम्मिलित हैं।…(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती हैं और जनजातीय संस्कृति को नष्ट करती हैं, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, क्या इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं के सहयोग से धर्मांतरण को रोका जा सकता है और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है?…(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके जो विशेष प्रावधान हैं, उस संबंध में राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद हैं।…(व्यवधान) उनको ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्यों को ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति और परंपराएं बनी रहें।…(व्यवधान)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जनजातीय संस्कृति और रीति-रिवाजों के संरक्षण संबंधी उपायों को जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा?...(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन विकास मंत्री ने जो प्रयत्न किया है, उसमें जनजातीय क्षेत्रों की भाषाओं को संवर्धित और संवर्धन करना तथा ऐसी चीजें, जिनसे उनकी सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, इन सारी चीजों के लिए राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर काम चल रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप जनजातीय संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न काल में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 43, श्री सुधीर गुप्ता।

(Q. 43)

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और देश की वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया गया है ।... (व्यवधान) मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है? बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैण्ड-अप इण्डिया और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। ... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित लाखों-करोड़ों वेण्डर्स को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है और बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1 लाख 4 हजार 650 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर दो हजार की आबादी तक बैंकों का विस्तार करने की कोई योजना भविष्य में है? ... (व्यवधान)

डॉ. भागवत कराड : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र, पर्टिकुलर्ली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है। ... (व्यवधान) रिव्यू के बाद किसान हो, प्राइमरी लेडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, उसमें परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, इस पर काम किया जाता है। ... (व्यवधान)

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है कि लोन जिस उद्देश्य से लिया गया है, वह रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? क्या इसके लिए कोई खाका तैयार है? ... (व्यवधान)

डॉ. भागवत कराड : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग-अलग स्कीम्स चालू की हैं, मैं उनमें बताना चाहता हूं कि चाहे मुद्रा लोन हो, स्वनिधि योजना हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, इन्हीं के माध्यम से छोटे उद्योगों या बड़े उद्योगों को वित्त या अर्थ मिलता है और इस माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है ।… (व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि एमएसएमई के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुए हैं और मुद्रा के माध्यम से 39 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इसमें हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे प्रधान मंत्री जी के माध्यम से रोजगार सम्मेलन लग रहे हैं, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को इसका फायदा हो रहा है। … (व्यवधान)

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे देश में बैंकों ने एक ट्रिलियन रुपये का शानदार मुनाफा अर्जित किया है ।… (व्यवधान) बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल किया । सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। … (व्यवधान)

दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ईएमआई चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते हैं। ऐसे मामलों में यह देखा गया है कि उन लोगों की तरफ बैंकों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहता है और इसकी बजाए वे उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों और सूदखोरों का आतंक था। ईएमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वालों से बैंक कर्मी ऋण की दुर्भाग्यपूर्ण रिकवरी करते हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी तरीकों से देश के सामान्य जन को बचाने के लिए क्या सरकार बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों के इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार क्या करेगी?

डॉ. भागवत कराड : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि हरेक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और उस बैंक के सिम्पल इंट्रेस्ट और कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट के बारे में बैंक बोर्ड और बैंक के अधिकारी डिसीजन लेते हैं। इसलिए सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। लोगों को साहूकारों से बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं**,** जिनमें वे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अप्लाई करने पर गरीब लोगों को लोन मिलता है, पैसा मिलता है।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): My hon. colleague has given an answer. I would want to add something to it. The hon. Member has raised a very sensitive issue. I know, I have heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks whether they are public sector banks or private sector banks. The Government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks be it private or public.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 44, डॉ. निशिकांत दुबे।

(Q. 44)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है – स्किल डेवलपमेंट, उसमें पहली बार भारत सरकार ने बड़ा काम किया है। इसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस मंत्रालय का और शिक्षा मंत्रालय का जो उत्तर है, इन दोनों मंत्रालयों के वे मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के प्रशिक्षण का रेशियो आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसे 34 प्रतिशत कहा है। इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर में दिखाई दे रहा है, वह है कि एनएसडीसी और अलग-अलग 20 मंत्रालय स्किलिंग का काम करते हैं। उनके कोऑर्डिनेशन के लिए शायद एक कमेटी बनी है या नहीं बनी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है और प्रश्न भी है कि जो एनएसडीसी और अन्य सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का सरकार का इरादा है? यदि है, तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, इस बारे में भारत सरकार की क्या सोच है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न है – महिलाओं का पार्टिसिपेशन । यह बात सही है और माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है कि शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34 प्रतिशत है, लेकिन जिस ढंग से देश में आज कटिंग एज स्किल्स आ रही हैं, न्यू एज स्किल्स आ रही हैं, मैं विशेषकर उदाहरण देना चाहूंगा कि आइटी सेक्टर में, सेमी कंडक्टर में, डिजिटाइजेशन आदि में महिलाओं की आवश्यकता बढ़ने वाली है। जैसे अभी मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है, मोबाइल इंडस्ट्री में पैकेजिंग और असेम्बलिंग के सारे काम महिलाएं करती हैं।

आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार के स्किल डिपार्टमेंट के नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों के कॉर्डिनेशन से इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई आईटीआई संस्थान भारत सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बनाए हैं।... (व्यवधान) मैं दूसरी जगह नहीं जाता हूँ। मेरे ही लोक सभा क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई बनना है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 15 आईटीआई संस्थान बने हैं।... (व्यवधान) जब रूडी जी मंत्री थे तो मैं उन्हें दिखाने भी लेकर गया था, लेकिन राज्य सरकार आईटीआई के प्रति इतनी अन्यमनस्क है कि वह कोई आईटीआई चलाने के लिए तैयार ही नहीं है।... (व्यवधान) भारत सरकार का पैसा है, लेकिन आईटीआई नहीं चलता है। चूँकि भारत सरकार का पैसा था इसलिए उस समय यह योजना बनी थी कि आईटीआई का स्किलिंग के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।... (व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार इन सभी आईटीआईज़ को, जो कि भारत सरकार के खर्चे पर बने हुए हैं, उन सभी को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने पर विचार रखती है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में आईटीआई चलाने का काम राज्य सरकारों का है।... (व्यवधान) यह बात सही है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यह बात सामने आई है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार का आईटीआई को सीधे अपने हाथों में लेकर चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है और उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।... (व्यवधान) स्किल डेवलमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार मिला है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच यह दर्शाती है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेन्टर्स खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके। यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की जो अपेक्षा है, उसके लिए मैं उनसे मिलकर चर्चा कर लूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 45, डॉ. उमेश जी. जाधव।

(Q. 45)

DR. UMESH G. JADAV : India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. So, my first supplementary to the hon. Minister is, what measures have been taken by the Government to simplify all the issues related to income tax.

My second supplementary is, what steps have been taken to increase the tax morale.

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए हैं, हालांकि उत्तर सभा पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है ।… (व्यवधान) इसके लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। आज ई-फाइलिंग का सिस्टम है। आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। हमने टीडीएस सिस्टम लागू किया। हमने आयकर विवरण प्रणाली को लागू किया ।… (व्यवधान) एंडरॉयड और आईफोन एप्लीकेशन को लागू किया । एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा आईटीआर की सूचनाओं का ऑटोमेशन किया जा रहा है ।… (व्यवधान) ये दोनों व्यवस्थाएं सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती हैं। वह आईटीआर सही-सही भर सके, उसके लिए करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वैरीफिकेशन के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को सत्यापित करने की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चला रही है, ताकि लोगों को आयकर रिटर्न भरने में आसानी हो ।… (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA: Speaker, Sir, I would like to say that while faceless assessments have been a game changer in ease of tax filing and compliance, faceless assessments also result in several high-pitched assessments, and

many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for start-ups and SME companies. What is the Government doing to take steps to address the issues arising out of these high-pitched assessments?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से इन सभी चीजों को लिया गया है ।...(व्यवधान) समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है ।...(व्यवधान) आईटी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जन-जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है ।...(व्यवधान) हम विभिन्न नए प्रयासों एवं आईटी सिस्टम्स आदि से आने वाले समय में आयकर को और भी दिशा देने वाला काम करेंगे ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि सदन में आप लोकमत के विषयों को उठाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न काल में सरकार की जवाबदेही होती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण आपको नारेबाजी और तख्तियां लाने के लिए जनता ने यहां नहीं भेजा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन मुद्दों पर चर्चा करने से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी और तख्तियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और आप उन लोगों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन चले।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखें। मैं आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए पर्याप्त समय एवं पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, 12 बजे के बाद उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं सभी दलों से बात करके, सहमति बना कर चर्चा कराने को तैयार हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी करेंगे, तख्तियां लाएंगे। क्या इसीलिए आपको जनता ने चुन कर यहां भेजा था?

… (व्यवधान)

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 46 to 60

Unstarred Question Nos. 461 to 690)

(Page No. 26 to 773)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.27 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

12.0½ hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Sushri Mahua Moitra, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9648/17/23]

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9649/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9650/17/23]

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 1800(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जनवरी, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का. आ. 2903(अ) जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का. आ. 1832(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का. आ. 2226(अ) जो 18 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9651/17/23]

(2) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रथाएं और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 215(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9652/17/23]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9653/17/23]

(4) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9654/17/23]

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.472(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2023 से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2023 जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 369(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9655/17/23]

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(क) की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.469(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए मानक टैरिफ को 5% से बढ़ाकर 15% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.473(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के लिए मानक टैरिफ को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9656/17/23]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.470(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.471(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.474(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.475(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.254(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क प्रभारों में अग्रिम प्राधिकृति से छूट देती है।

(छह) सा.का.नि.255(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के मानित निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, घरेलू विनिर्माताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को आपूर्ति के लिए अंतिम वस्तुओं के निर्माण के लिए आयातित सामग्रियों पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(सात) सा.का.नि.256(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी उत्पाद समूह के लिए सामग्रियों के आयात पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(आठ) सा.का.नि.257(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकृति योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए अन्यथा प्रतिषिद्ध किसी मद के निर्यात के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 में उपबंध को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, भारत में आयातित सामग्रियों के आयात पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(नौ) सा.का.नि.258(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकृति (डीएफआईए) योजना को प्रभावशील करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । ऐसी प्राधिकृति निर्यात किए जाने के पश्चात् प्रदान की जाती हैं। यह अधिसूचना कतिपय शर्तों के अध्यधीन डीएफआईए से आयातित सामग्रियों पर आधारभूत सीमाशुल्क प्रभारों में छूट देती है।

(दस) सा.का.नि.259(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना को प्रभावशील करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन शून्य सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है।

(ग्यारह) सा.का.नि.260(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की विशेष अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन फैब्रिक के आयात पर विशेष अग्रिम प्राधिकृति से छूट देती है।

(बारह) सा.का.नि.261(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 4.01(घ) के अनुसार निर्यातित वस्तुओं पर शुल्कों और करों में छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) और ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम को अभिशासित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों

के अधीन निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम की रीति को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 262(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 13 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी के अनुसार राज्य और केंद्रीय करों और उद्ग्रहणों की छूट के लिए योजना तथा ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम को अभिशासित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम की रीति को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.316(अ) जो 26 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तेरह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.251(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं. 25/2021-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.252(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30.04.2022 की अधिसूचना सं. 22-2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए

गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.277(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना सं. 55/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.309(अ) जो 20 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना सं. 55/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.319(अ) जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2022 की अधिसूचना सं. 11/2022-सीमा शुल्क और 12/2022-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.331(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.332(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं और जिनमें दिनांक 16 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.368(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र शामिल है, तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.333(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित सत्रह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.356(अ) जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चा सोयाबीन तेल (एचएस150710 10 00) और कच्चा सूरजमुखी तेल (एचएस1512 11 10) के आयात की अनुमति देना है तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (डीजीएफआई द्वारा पुन: विधिमान्यकृत) 30 जून, 2023 तक टीआरक्यू लाइसेंसधारकों के लिए शून्य आधारभूत सीमाशुल्क और शून्य कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (जो कि शून्य अंत:उद्धरण टैरिफ दर है) में छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.383(अ) जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 62/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.439(अ) जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 48/2021-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.263(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित आठ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.265(अ) जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9657/17/23]

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-4 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पंजीकरण के निरस्तीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन की समय-सीमा को बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26.12.2022 की अधिसूचना

सं. 27/2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 62 के अंतर्गत जारी कर निर्धारण आदेशों की मानित वापसी के लिए क्षमादान योजना प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 250(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-9 के लिए विलंब शुल्क को तर्कसंगत करना और जीएसटीआर-9 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.1563(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय जीएसटीआर-10 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.1564(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत सीमा को विस्तारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 355(अ) जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अगस्त, 2023 से पांच करोड़ रुपए से अधिक सकल टर्नओवर वाले करदाताओं के

लिए ई-बीजकीकरण को कार्यान्वित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 384(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 385(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 386(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-7 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 448(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 449(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 450(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-7 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 460(अ) जो 27 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुजरात राज्य में कच्छ, जामनगर, मोरबी, पाटन और बनासकंठा जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को 30 जून, 2023 तक आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 348(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9658/17/23]

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 276(अ) जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मछली पकड़ने के जाल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 9 सितम्बर, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है।

(दो) सा.का.नि. 279(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित के आयातों "कोलिक एसिडयूर्सोडीओऑक्सी"पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(तीन) सा.का.नि. 308(अ) जो 19 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनाईल टाइल्स", रोल या सीट फॉर्म के अलावाके " का उद्ग्रहण करना है।आयात पर प्रतिपाटन शुल्क

(चार) सा.का.नि. 416(अ) जो 9 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 31/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 344(अ) जो 4 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया

और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कार्बन श्रृंखला लंबाई सी10 से सी18 के संतृप्त वसीय अल्कोहल और उनके मिश्रणों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाना है।

(छह) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9659/17/23]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 303 (अ) जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 304 (अ) जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 336 (अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 366 (अ) जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 317 (अ) जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003- के.उ.शु. और अधिसूचना संख्या 23/2003- के.उ.शु. दोनों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9660/17/23]

(7) वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1566(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसका आशय 1 अप्रैल, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करना है जिसको वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 163 के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1567(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2023 की विभिन्न धाराओं के लिए प्रवृत्त होने की तारीखों का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9661/17/23]

(8) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.253(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9662/17/23]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.349(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9663/17/23]

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.350(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9664/17/23]

(11) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत अधिकरण (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2023, जो 16 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.444(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9665/17/23]

(12) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.361(अ) जो 12 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.390(अ) जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9666/17/23]

(13) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईएफ़एससीए/2022-23/ जीएन /

आरईजी034 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईएफ़एससीए/2022-23/जीएन/आरईजी036 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/037 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा के संबंध में परिचालन 'विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन उपकरणों' और वित्तीय लीज के हाइब्रिडसहित परिचालन लीज को वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(चार) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की अस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी038 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्ति, देयता, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी039 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार संचालन) विनियम, 2023 जो 1 मई, 2023 को भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी035 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनआईसीसीएल/245 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 1202, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 14-ए, ब्लॉक 14, जोन -1, जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात -382355 को मान्यता प्रदान की गई है।

(आठ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-आईएफएससी/262 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 1202, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 14-ए, ब्लॉक 14, जोन -1, जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात-382355 की मान्यता का नवीकरण किया गया है।

(नौ) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 4 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी040 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी041 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9667/17/23]

(14) स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों – जुलाई, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9668/17/23]

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9669/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan

Studies, Varanasi, for the year 2021-2022.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2021-2022.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9670/17/23]

… (*Interruptions*)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदय, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023, जो 11 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.1-13/2022/(सीपीपी- II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9671/17/23]

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English

versions) under Section 114A(3) of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/2/190/2023 in Gazette of India dated 27th March, 2023.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of management of insurers transacting life insurance business) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/3/191/2023 in Gazette of India dated 27th March, 2023.

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of management of insurers transacting life insurance business) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. IRDAI/Reg/4/192/2023 in Gazette of India dated 27th March, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9672/17/23]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section(3) of Section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993:-

(i) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi,

Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.482(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

(ii) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.483(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

(iii) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.484(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

(iv) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.485(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

(v) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No.

G.S.R.486(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9673/17/23]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013:-

(i) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and While-time Members) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.209(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2023.

(ii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No.PFRDA/12/RGL/189/8 in Gazette of India dated 23rd March, 2023.

(iii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No.PFRDA/12/RGL/139/5 in Gazette of India dated 17th April, 2023.

(iv) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment)

Regulations, 2023 published in Notification No.PFRDA/12/RGL/139/1 in Gazette of India dated 27th March, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9674/17/23]

(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Mumbai, for the year ended 31st March, 2023, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 9675/17/23]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 31.03.2023.

(ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the quarter ended 31.03.2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9676/17/23]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions)

of the National Bank for Financing Infrastructure and Development, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Bank for Financing Infrastructure and Development, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 9677/17/23]

… (*Interruptions*)

12.03 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

42nd Report

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रहलाद जोशी जी की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 10, श्री प्रिंस राज – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

12.03½ hrs

REPORT OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

348th to 351st Reports

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'विरासत से जुड़ी चीजों की चोरी-भारतीय पुरावशेषों का अवैध व्यापार और हमारी मूर्त सांस्कृतिक विरासत के पुनरुज्जीवन तथा उसकी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियां विषय के बारे में '348वां प्रतिवेदन।

(2) 'पत्तनों पर संपर्क और पर्यटक टर्मिनल सुविधाएं विषय के बारे में समिति के ' 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 349वां प्रतिवेदन।

(3) 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्टों का विकास और सैन्य विमानपत्तनों में असैन्य एन्कलेव से संबंधित मुद्दे विषय के बारे में '350वां प्रतिवेदन।

(4) 'राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्यकरणविषय के ' बारे में351वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

12.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of recommendations contained in the 55th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

… (व्यवधान)

12.04½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations / observations contained in the 241st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region *

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा): महोदय, मैं उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों /टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

… (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9646/17/23 and 9647/17/23 respectively.

12.05 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Court of Aligarh Muslim University

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 के उप-खंड (चौबीस) और खंड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 के उप-खंड (चौबीस) और खंड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.05½ hrs

*DNA TECHNOLOGY (USE AND APPLICATION) REGULATION BILL, 2019

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move for leave to withdraw a Bill to provide for the regulation of use and application of Deoxyribonucleic Acid (DNA) technology for the purposes of establishing the identity of certain categories of persons including the victims, offenders, suspects, undertrials, missing persons and unknown deceased persons and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अंतर्गत पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध, विचारणाधीन, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति भी हैं, पहचान स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के प्रयोग और लागू होने के विनियम

---

* The Bill was introduced on 8th July, 2019 and referred to the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change for examination and report. The Report of the Committee was laid on the Table of Lok Sabha on 3rd February, 2021. A Statement containing reasons for which the Bill is being withdrawn has been circulated to members on 20.7.2023

का उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I withdraw the Bill.

… (*Interruptions*)

12.06 hrs

GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED
(i) NATIONAL NURSING AND MIDWIFERY COMMISSION BILL, 2023*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by nursing and midwifery professionals, assessment of institutions, maintenance of a National Register and State Registers and creation of a system to improve access, research and development and adoption of latest scientific advancement and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 24.7.2023

** Introduced with the recommendation of the President.

… (*Interruptions*)

12.07 hrs

(ii) NATIONAL DENTAL COMMISSION BILL, 2023*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the profession of dentistry in the country, to provide for quality and affordable dental education, to make accessible high quality oral healthcare and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"
>
> श्री मनीष तिवारी जी।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): It is regrettable. Manipur is burning … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप केवल बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 24.7.2023

"कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I introduce** the Bill.

… (*Interruptions*)

** Introduced with the recommendation of the President.

12.08 hrs

(iii) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 24.7.2023

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय सभापति : आप लोग कृपया करके अपनी सीट्स पर जाइए। हंगामा और बहस एक साथ नहीं चल सकता है। आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाएंगे तभी बहस संभव है। आपने जो विषय उठाया है, आप जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप लोग उसकी बहस में भाग लीजिए । Please go back to your seats. हंगामा और चर्चा साथ-साथ नहीं चल सकते।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>12.09 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले आप सब बैठिए। प्लीज़, बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया काम शुरू होने दीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please, let us start something.

… (*Interruptions*)

14.01 hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

14.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके

* Treated as laid on the Table.

लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (व्यवधान)

(i) Need to simplify the software pertaining to implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): MNREGA जो एक रोजगार गारंटी योजना है और इसके सॉफ्टवेर मे सिस्टम अपडेट के कारण लेबर और स्किल मस्टर डिस्प्ले नहीं हो पाता है जिससे अमरेली के महुवा तालुके डुंडास, जांबुड़ा, कोंजली और कालेला गाँव में मानव दिन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2021-22 में और 2022-23 के स्किल और मटीरियल्स के काम में वेज लिस्ट तक एंट्री की गई है लेकिन First Sign इस एंट्री के डिस्प्ले न होने के कारण इन व्यक्तिगत कार्यों का पेमेंट नहीं हो पाता है। सिस्टम अपडेट होने से अमरेली जिले के खांभा और राजुला तालुके में स्किल मस्टर रोल फिल और डिस्प्ले भी नहीं हो पाता है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में हाजरी से E- मस्टर रोल फिल करते समय edit का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता और पेमेंट करने में भी समस्या आती है जिसके कारण मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। अतः मै माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि इस सॉफ्टवेर की प्रक्रिया को सरल बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(ii) Need to provide stoppage of Train No. 14803/14804 at Dhanera Railway Station in Banaskantha Parliamentary Constituency

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): साबरमती से जैसलमेर चलने वाली ट्रेन नंबर 14803-14804 जो राजस्थान के रामदेवरा से होकर गुजरती है, इस ट्रेन का स्टॉपेज मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत पड़ने वाले धानेरा स्टेशन में नहीं होने की वजह से वहां के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ज्ञात हो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा, थराद और पांथावाडा की अधिकतर धर्म प्रेमी जनता जो रामदेवरा में रामदेवपीर के श्रद्धालु हैं, वो लोग काफी संख्या में रामदेवरा जाते हैं परन्तु ट्रेन की सीधी सुविधा नहीं होने के कारण उनको काफी कठिनाई होती है। इसलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज यदि मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा में हो जाये तो बड़ी संख्या के श्रद्धालुओं को ट्रेन का लाभ मिलेगा। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ट्रेन का ठहराव धानेरा में किया जाये जिससे वहां के और आसपास के निवासियों को रामदेवरा जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

(iii) Need for CBI inquiry to investigate the alleged case of spurious seeds in Wardha district, Maharashtra

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय कृषी मंत्री जी का ध्यान विदर्भ के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर पुलिस एवं कृषि विभाग द्वारा कपास के बीजों की जिले के एक गोदाम में की गई छापेमारी की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें कथित रूप से 296 बोरे नकली कपास के बीज को पकड़ा गया है। जिसका बाजार भाव करीब 1 करोड़ 55 लाख 85 हजार 9 सौ 70 रुपए का है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। यह कपास बाहरी राज्यों से आने वाली असली बीज के पैकेट में नकली बीजों की री-पैकिंग कर उसे बेचा जा रहा था। एक माह पहले शुरू किए गए इस कारखाने से वर्धा सहित नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा व विदर्भ के अन्य जिलों की अलग-अलग कृषि केंद्रों के मार्फत नकली बीजों की बिक्री करने का खुलासा हुआ है। इस गिरोह द्वारा 14 टन नकली बीज़ बेचा जा चुका है। इस वजह से पूरे विदर्भ में 14,000 एकड़ में नकली कपास के बीज बोए जाने का संदेह है। जिस कारण किसानों में रोष व्याप्त है। अतः माननीय कृषि मंत्री से आग्रह है कि किसान के हित को ध्यान में रखकर इसकी जाँच CBI से करवा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कृपा करें जिससे कि दुबारा कोई इस तरह कुकृत्य करने का सोच न सकें ।

(iv) Regarding closure of ITIs

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): DGT ने 2018 से 2022 तक आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स में जीरो एडमिशन किए है। ऐसी सभी संस्थाओं को बंद तथा DGT आफ़ीलीएशन रद्द करने हेतु सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को सूचित किया है। इन गत पांच वर्षों में 30000 आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स जो DGT आफीलीएशन प्राप्त थे, बंद हुए हैं ऐसे यूनिट्स बंद होने से करीब करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ा है। अनेक वर्षों से आधारभूत सुविधा स्वयं पूंजी/सोर्सेज से जमा कर आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स प्राइवेट संस्था का निर्माण पूरे देश में हुआ है जिसका लाभ गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गत अनेक वर्षों से होता दिखता है। इन सभी आई टी आई संस्थाओं को कोई सरकारी अनुदान/सहायता किसी भी प्रकार से कभी भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसी संस्थाएं अगर इस DGT की नई पॉलिसी प्रस्तावित होने से बंद होती है तो गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु स्वयं-रोजगार निर्मित करने का यह प्रभावी साधन है और इससे इन गरीब परिवारों का बड़ी मात्रा में नुकसान होगा तथा इन संस्थाओं से जुड़े/प्राप्त अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो सकते है, अकेले महाराष्ट्र राज्य में इन संस्थाओं से जुड़े करीब करीब 10000 से ज्यादा लोक/परिवार संस्थाएं बंद होने से बेरोजगार/बेघर हो सकते है। मेरा सरकार से तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह पॉलिसी कार्यान्वित करने के बारे में पुनर्विचार करें जो अभी सर्वे की स्टेज पर है और इन संस्थाओं को कुछ ज्यादा समय इस स्थिति को सुधार करने के लिए उपलब्ध करायें।

(v) Need to develop Devrahi Mata Mandir in Deoria District, UP as a tourist place

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मेरें लोकसभा क्षेत्र देवरिया जिला मुख्यालय के बारे में ऐसी जनभावना एवं जनश्रुति है इसका देवरिया नाम जिले में स्थित अत्यंत प्राचीन मंदिर देवरही माता के नाम पर रखा गया है। देवरही माताजी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है जिस पर आमजन की अटूट आस्था एवं विश्वास है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं लेकिन उसका विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। पर्यटन की दृष्टि से वह स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अतः मैं पर्यटन विभाग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसके विकास के लिए मन्दिर से संबंधित पौखारे का सौन्दर्यकरण करते हुए इसमे फव्वारा लगाने तथा यहाँ यात्रियों के विश्राम के लिए एक विश्राम भवन बनवाने की कृपा की जाए जिससे यह स्थान एक ऐतिहासिक महत्व के रूप आकर्षक बन सके।

(vi) Regarding establishment of National Rice Research Institute in Jaleswar, Odisha

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Rice, being a staple food in many States, holds immense significance for Indians, particularly Odisha. It dominates the agricultural landscape, covering approximately 63% of Odisha, and plays a pivotal role in influencing our State's economy. Rice cultivation serves as vital source of income and employment for our people. Hence, I strongly believe that the establishment of a National Rice Research Institute (NRRI) in Jaleswar, Odisha would contribute significantly to enhance agricultural productivity and ensure adoption of sustainable practices for rice farming. Additionally, given the challenge posed by frequent floods, deficit rainfall, and the lack of support for cash crops in our State, NRRI's efforts in genetic research and breeding programs can lead to the development of new rice varieties with desirable traits. These innovations would enable us to overcome the hurdles presented by climate change and other environmental factors. With the establishment of NRRI in Jaleswar, I believe that productivity of rice can improve exponentially and help the farmers in better planning of rice cultivation, in order to avoid financial losses. Further, for a State which is highly dependent on rice, the NRRi would be of immense value contributing towards empowerment of farmers to embrace modern technologies and practices, leading to enhanced productivity, better incomes, and holistic rural development. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Agriculture and

Farmers Welfare to consider the establishment of a National Rice Research Institute in Jaleswar.

(vii) Regarding flood and land erosion caused by Ganga and Phulhar rivers in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की महत्त्वाकांक्षी योजना " नदी जोडो अभियान " को बढ़ाने के लिये आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी एंव जल संसाधन मन्त्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जल मार्गों का विकास करते हुये व्यापारियों, किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। जल संसाधनों का उपयोग करते हुये किसानों की आय बढ़ी है और देश सूखे और अकाल की स्थिति से उबर चुका है। इसके लिये मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बार बार साधुवाद देता हूं। मै पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और अपने क्षेत्र की नदियों के कारण हो रहे कटान और बाढ़ की समस्या की ओर माननीय जल संसाधन मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नालदा जिले का अधिकांश भाग गंगा और फुल्हर नदियों के किनारे बसा हुआ है। इन नदियों के कटान के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन नदियों में समा चुकी है। इसके अलावा रिहायशी गांवों महान्दा टोला, भिलाईमारी, कहला, देवीपुर, उत्तर-दक्षिण भकुरिया इत्यादि का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यही स्थिति ग्राम पंचायत जंजाली टोला, खास्साबरना, रामायणपुर, रोहीमारी इत्यादि गांवों की भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता गंगा और फुल्हेरा की कटान और बाढ़ दोनो से ग्रसित है। उपजाऊ जमीने नदियों में विलीन हो रही हैं। मैने बार बार केन्द्र और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है, पर इस पर कोई ठोस कार्यवाही नही हो पायी है। मैं आग्रह करूंगा कि कटान से बचाव के लिये ठोस कार्ययोजना बनायी जाये। बाढ़ से बचाव हेतु नदियों के किनारे तटबन्ध बनाये जायें। कटान से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाये और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। इसका आकलन करने के लिये केन्द्र सरकार के अधिकारियों की टीम भेजी जाये। केन्द्रीय जल आयोग का एक कार्यालय मालदा में खोला जाये जो सक्रिय होकर इस दिशा में ठोस कार्य करे।

(viii) Need to provide immediate central assistance to flood affected areas in Ganganagar Parliamentary Constituency

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं आपका ध्यान पिछले कई दिनों से हिमाचल व पंजाब राज्यों में हो रही भारी वर्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर के अंतर्गत हनुमानगढ़, सूरतगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी आदि क्षेत्रों में बहने वाली घग्घर नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा के ओ.टू. हेड से पिछले कई दिनों से लगातार घग्घर नदी में पानी की आवक हो रही है। अत्यधिक पानी की आवक होने से घग्घर नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए है। खेतों के डूबने से बाढ़ का असर फसलों पर भी हो रहा है। आमजन के साथ-साथ क्षेत्र के किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन व ग्रामवासी मिलकर स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक हालात खराब होने की स्थिति में प्रशासन को बड़े स्तर पर राहत कार्य करने में परेशानी होगी। अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उपजे इन बाढ़ के हालातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द केन्द्रीय सहायता पहुँचाने का कष्ट करें।

(ix) Need to investigate alleged harassment of faculty members of AIIMS in Raipur, Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर का एक गम्भीर मसला सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एम्स, रायपुर के संकाय सदस्यों की प्रताड़ना को लेकर मैं पहले भी पत्राचार के माध्यमों से अवगत कराता रहा हूँ। दिल्ली एम्स से अनुभव प्राप्त कर रायपुर एम्स में कार्यरत् संकाय सदस्य डॉ राधाकृष्ण रामचंदानी जी एवं उनकी पत्नी को कथित रूप से प्रताड़ित कर नौकरी छोड़ने पर विवश करने का मामला सज्ञान में आया है। यह मामला रूल्स 14 सेन्ट्रल सिविल सर्विसेस का दुरूपयोग कर, कर्मठ, ईमानदार सरकारी प्रशासनिक सेवा में लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण साजिश के तहत नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों का एम्स संस्थान जिनके स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी चिकित्सकों को कथित रूप से प्रताड़ित कर नौकरी छोड़ने के मामले को केन्द्रीय स्वास्थ्य समिति के जाँच दल द्वारा जाँच करने का अनुरोध करता हूँ।

(x) Regarding implementation of 'Har Ghar Nal Yojana' in Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक अति आवश्यक मांग माननीय जल संसाधन मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार की अग्रणी योजना जल ग्रहण मिशन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप केन्द्र सरकार की हर घर नल योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य काफी पीछे चल रहा है । वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत टेण्डर जारी कर उन्हें फिर से निरस्त कर फिर टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है । अनेक गांव में पानी टंकी बना दी गई है किन्तु वहां पानी का स्रोत ही नहीं है। कार्य में स्थायित्व नहीं होने के कारण से पाईपलाईन बिछाने का काम विलंब से चल रहा है । जिसके कारण से केन्द्र की इस अग्रणी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के निवासियों को समय पर मिल पाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र की उक्त योजना का छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(xi) Need to expedite the construction of North Koel Reservoir Project and provide compensation to the people displaced due to the project

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) की परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में आरम्भ हुआ था जो 1993 तक जारी रहा परंतु 1993 के बाद कतिपय कारणों से उक्त परियोजना का कार्य बंद हो गया। वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 1622 करोड़ रूपये की लागत से इस परियोजना के "निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। परियोजना का कार्य वाप्कोस कंपनी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 जनवरी 2019 को उक्त परियोजना के निर्माण की आधारशिला पलामू जाकर रखी जिसके बाद पलामू प्रमंडल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आस जगी है। परन्तु मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है जिससे जनता के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मुआवजे की राशि प्रदान कराते हुए उक्त परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की कृपा की जाये।

(xii) Need to regulate the social media

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): युवा पीढ़ी व बच्चों पर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के परिणाम नजर आने लगे हैं। लंबे समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बच्चे व युवा अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से दूर जाते हैं और वास्तविक जीवन में समाजिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते तथा पढ़ाई और अध्ययन के लिए उचित समय नहीं निकाल पाते। बच्चे व युवा अब शारीरिक खेलों और मनोरंजन के बजाय वीडियो गेम, यूट्यूब आदि का प्रयोग अधिक करते हैं, जिससे युवा वर्ग शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो रहा है। निष्क्रियता और सामाजिक असमर्थता: इससे उन्हें सामाजिक असमर्थता की समस्या हो सकती है, जिससे उन्हें नए रिश्तों को बनाने में दिक्कत हो सकती है। सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों और युवाओं को चिड़चिड़ा बना रहा है और उनमें चिंता और अवसाद की स्थिति पैदा कर रहा है, जिसके कारण वे आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। सोशल मीडिया में लिप्त युवा व बच्चे हैकिंग, आइडेंटिटी को चोरी, फ़िशिंग अपराध इत्यादि जैसे साइबर अपराधों के शिकार हो सकते हैं। इसी कारण चीन, ईरान, नार्थ कोरिया, न्यामांर, रूस, तुर्कमेनिस्तान व युगांडा आदि देशों ने तो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं भारत सहित कई देशों को भी कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत में भी सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी व स्कूली बच्चों को इसके नकारात्मक दुष्प्रभावों से बचाया जा सके तथा उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

(xiii) Regarding provision of stringent law to punish culprits involved in crimes against women

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): राजस्थान में महिलाओं और बेटियों पर चिंताजनक परिस्थितियों में अत्याचार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 16 या 17 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 4 सालों में आंकड़ा 10,000 को भी पार कर चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेकों घटनाएं हुई और हाल ही में करौली, ओसियां, कोटा व देश के मणिपुर की आदिवासी बहनों पर किए गए जुल्म मानवता पर कलंक है। कठोर दंड के प्रावधान देश और प्रदेशों के कानून में होने आवश्यक हो गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले दोषियों के लिए कठोर दंड के प्रावधान की मांग करती हूँ।

(xiv) Need to re-open Land Immigration Check Post at Radhikapur, West Bengal

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI (RAIGANJ): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Home Affairs towards the need to re-opening of Land Immigration Check Post at Radhikapur, West Bengal. The Ministry of Home Affairs, in the month of March 2020, instructed to close all Land Immigration Check Posts, including sea ports/land posts for incoming passenger traffic in West Bengal due to COVID-19 pandemic. The Ministry of Home Affairs has also sought comments of the Government of West Bengal for re-opening of the Land Immigration Check Post at Radhikapur and the state government has not sent any reply. Hence, keeping in view the importance of the issue, I urge upon the Union Government to instruct the Government of West Bengal to help in re-opening of the Land Immigration Check Post at Radhikapur immediately.

(xv) Need to take remedial measures to check the increasing number of cancer patients due to polluted water in Gwalior Parliamentary Constituency

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): ग्वालियर लोक सभा क्षेत्र की भितरवार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घाटीगांव ब्लॉक के ग्राम बरई, पनिहार एवं आस-पास के गांवों में लगातार कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मेरे संज्ञान में आया है कि जलशक्ति मंत्रालय के भू-जल बोर्ड की टीम ने इस क्षेत्र में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के कारणों को जानने के लिये सर्वे किया था। इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि यहां के पानी में कैंसर कारक तत्व है जिनसे कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूषित जल के चलते पर्यावरण के भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। मेरा माननीय जलशक्ति मंत्री जी से आग्रह है कि सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपके मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने एवं जल्द से जल्द इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र नें बढ रहे कैंसर रोगियों की संख्या को रोका जा सके।

(xvi) Regarding poll-related violence in West Bengal

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जहां नागरिक अपने मत का उपयोग कर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल में निरंतर चुनावों से पूर्व, चुनाव और मतगणना के दिन के साथ साथ उसके बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा जहां एक और चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का पर्याय है वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होते ही हिंसा, आगजनी आरंभ हो जाती है। मानो यह चुनाव की नहीं अपितु युद्ध और अपराध की घोषणा हो।

पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा को अभी बंगाल और देश के लोग भूल भी नहीं पाए थे कि फिर पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही हत्या, आगजनी का भयावह चक्र फिर से शुरू हो गया।

(xvii) Regarding fatal accidents in Muthalapozhi fishing harbour in Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): The continuing fatal accidents in Muthalapozhi fishing harbour in Kerala is a matter of urgent concern. Sixty nine fishermen have lost their lives and 700 were injured in different accidents since the construction of breakwater here. Four people were killed on 10th July, 2023 when their boat capsized in the harbour. It is alleged that the unscientific construction of pulimuttu is the main reason for accidents here. I had raised the issue many times through submissions in Lok Sabha and letters to the Union Government. Following that a report had been sought from the Government of Kerala in which the state denied the safety issues in the harbour. But the repeated accidents are evident of the faulty construction and it is necessary to take corrective actions without further delay. I request the Union Government to send a Central team of experts to review the situation at the earliest. It is necessary to deploy permanent rescue operation team Muthalapozhi. Many lives can be saved by deputing a permanent rescue operations team in the harbour. I also request the Government to consider compensation to the families of victims in the accident.

(xviii) Need to construct granite stone barrier along the coast to protect the villagers of Puducherry and Karaikal

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): The sea erosion along the coastal areas of Puducherry and Karaikal regions has become a regular phenomenon for the last few decades. Sea wall and Groins are constructed along the White Town area for about two kilometers over a period of time to protect the urban habitations. The coastal villages are affected very badly due to the sea erosion. The local government doing some anti sea erosion works here and there without proper planning and study leading to avoidable expenditure. Recently, sea water entered into the fishermen dwellings along the coast. Urgent comprehensive planning is required to protect the coastal regions of Puducherry and Karaikal. I request the Union Government to assess the situation and take immediate action for protection of the coastal villages. I request to make a detailed study and construct granite stone barrier along the coast of these coastal villages to save the lives of fishermen and their houses.

(xix) Regarding stoppage of train at Ottappalam and Pattambi in Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): It has been a demand for the stoppage of Ernakulam-Bangalore-Ernakulam Intercity Express at Ottappalam as this is the only daytime train running between Kerala and Bangalore, for which, ladies and children travelling to and from Bangalore prefer to travel by this train because of security reasons. The people are now compelled to travel to Palakkad which is 32 km away from Ottappalam to board this train. It has also been a demand for the stoppage of Kannur - Ernakulam Intercity Express at Pattambi. Pattambi is a well-known commercial centre in Kerala and is a thickly populated municipality too. There are hundreds of people visiting to and departing from Pattambi daily. If a stoppage for the said train is provided, it will be a boon for railways to earn more revenue and at the same time it will be a great help to the people of Pattambi or people visiting Pattambi. Both these stations come under Palakkad Division of Southern Railway. I have been raising this issue at all the forums available to me, but a decision on the above is yet to come. I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to provide stoppage for the said trains at Ottappalam and Pattambi urgently.

(xx) Need to conduct various examinations for recruitment in central government Services in Tamil language and also to improve the employment opportunities for the youths of Tamil Nadu

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The youth from Tamil Nadu are not getting selected during the recruitment drive in Union Government departments including Railways and Public Sector Undertakings (PSUS) in Tamil Nadu. Tamil Nadu has more human resources with comparatively higher knowledge and skill sets both in technical and academic areas which can be properly utilized. In the competitive examinations conducted by Railway Recruitment Board this year in the Southern Region for several post, most of the person selected do not belong to Tamil Nadu. This causes huge disappointment among the unemployed youths in the state. The system may be facilitated for conducting all the examinations by various union recruitment agencies in the Tamil language also which will be helpful for the aspirants from Tamil Nadu. I request the Union Government to do the needful to improve the employment opportunities for the youths of Tamil Nadu.

(xxi) Regarding problems faced by shuttlecock manufacturers in Uluberia Parliamentary Constituency

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I would like to draw the kind attention of the Government towards the situation faced by shuttlecock manufacturers in my Parliamentary Constituency Uluberia. Uluberia has long been renowned as the central hub for shuttlecock production with a thriving feather industry that has flourished for over 40 years. Unfortunately, the majority of manufacturers in this region are unorganised employing around 6,000 individuals. Shuttlecock manufacturers in Uluberia are grappling with challenges that demand the attention of Government of India. The primary concern is the abrupt halt in feather import from Bangladesh, impacting the availability of feathers. Furthermore, the imposition of a 12% Goods and Services Tax (GST) on shuttlecocks has further increased costs, Consequently, Chinese companies have swiftly captured a substantial portion of the market, undermining the principles of "Make in India" and "Atmanirbhar Bharat." I urge upon the Government to immediately intervene in order to address this grave issue particularly to allow the import of duck feather from Bangladesh and ensure credit facilities to the manufacturer.

(xxii) Regarding completion of Kotipalli – Narasapuram railway line in Andhara Pradesh

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Kotipalli-Narasapuram newly proposed railway line is of 57.2 km, which is popularly known as Konaseema railway line, started in 2001 by the then Lok Sabha Speaker Shri GMC Balayogi. Later, there was no considerable progress. In 2014, the Government expedited the construction of the railway line. This Railway line passes through Kotipalli via Magam, Amalapuram, Peruru, Pasarlapudi, Jagganna Peta, Rajolu, Chinchinada to Narasapuram towns along with 3 municipalities. This project has three bridges having length of 1.47 km, 3.55 km and 1.49 km respectively. Till now, about Rs.1200 crore were spent and 60 % of the works completed. Since 2019, the railway line work has been moving in a snail's pace. It stopped in January 2023, due to non-release of 25 % funds of state government's share. In 2023 Budget, Rs.100 crores has been allocated for this project. Though State Government is committed to complete the -railway line but finding it difficult due to financial crunch. The Central Government has already spent about Rs 1200 crores on this project, which is lying idle. In view of the rising prices, I would suggest that the Ministry complete the remaining work by infusing sufficient funds, which can be adjusted from the GST funds to be released to the State Government so that time and money is saved and the wish of the Konaseema people also fulfilled.

(xxiii) Need to establish educational institutions of excellence in the country to stop migration of students

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में हमारे देश से 7,50,365 छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने हेतु विदेश गए जबकि वर्ष 2021 की तुलना में इसमें 68% की भारी वृद्धि हुई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्रतिभाशाली छात्र देश में उच्च शिक्षा क्यों नहीं लेना चाहते हैं। विदेशों में शिक्षा लेने के पश्चात इनका देश के प्रति क्या योगदान रहेगा। हम ऐसा शिक्षण संस्थान क्यों नहीं बना पा रहे है कि ये प्रतिभावान छात्र देश में ही शिक्षा लें। आज के समय में यदि प्रति छात्र लगभग 1 करोड़ खर्च हो रहा है तो शिक्षा के नाम पर कितना पैसा देश से बाहर विदेशों में जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी विषय है कि यदि ये प्रतिभावान छात्र विदेशों में शिक्षा लेने के बाद वहीं नौकरी हेतु बस गए तो हम देश के प्रतिभावान नवयुवको को खो देंगे। दूसरी ओर, जबकि ये बच्चे मूल रूप से बुद्धिमान हैं, वे इस देश की सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को इनकी आवश्कता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर विचार करे तथा देश में ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जाए जिससे इन प्रतिभावान छात्रों को देश में ही यह शिक्षा प्राप्त हो सके।

(xxiv) Need to expedite construction of bridge over Punpun river in Aurangabad district, Bihar

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं सरकार का ध्यान पुनपुन नदी पर पुल बनाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के पंचायत- मीरपुर के ग्राम - अंकुरी और हसपुरा प्रखण्ड के पंचायत नलहरा के ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण नाव से इस पार से उस पार जाने के कारण लगातार सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि नदी के इस पार और उस पार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) रोड भी है, ये पुल बन जाने पर गोह प्रखण्ड और हसपुरा प्रखण्ड की दूरी काफी कम हो जाएगी, और देवकुंड तीर्थ धाम एव अरवल होते हुए पटना जाने में काफी आसानी होगी। यह क्षेत्र नकस्ल प्रभावी क्षेत्र है नक्सली गतविधियों पर काबू पाने में पुलिस को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल के अभाव में नक्सली अपने कार्यो में सफलता पा जाते हैं।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ग्राम- अंकुरी और ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल अतिशीघ्र बनाया जाए।

(xxv) Regarding educational facilities for tribals in Keonjhar district in Odisha

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): The great saint Swami Vivekananda said, "All the wealth of the world cannot help one little Indian village if the people are not taught to help themselves. Our work should be mainly educational, both moral and intellectual." Even after 75 years of Independence, education has not reached every village and community in our country. Tribals, who are the indigenous people of the land have been deprived of proper education. Keonjhar which is a tribal dominated mining area in Odisha has little facilities for proper education. Efforts should be made to provide education to the poor tribal people. There is a need to create good facility of both formal education and training for under graduate. Schools should be build to which boys and girls have easy access. The government should let us know its plan to help the tribal community get educated. I urge upon the Government and the Hon'ble Minister of Tribal Affairs to take firm steps to provide proper education to the poor tribal community. To conclude, I will once again quote Swami Vivekananda, Swamiji said "If the poor boy cannot come to education, education must go to him."

(xxvi) Need to check atrocities against Dalits

श्री मलूक नागर (बिजनौर): पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़ आ गयी है। मणिपुर में व राजस्थान में करौली जनपद में एक 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके चेहरे को एसिड से जला कर गोली मारकर हृदय विदारक घटना घटित हुई है। यदि समय रहते युवती के परिवार के लोगों की बात पुलिस महकमा गंभीरता से लेता और कार्यवाही करता तो शायद उस युवती की जान बच जाती। इस घटना की जिम्मेदारी आरोपियों और पुलिस दोनों की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक विशेष समुदाय लोगों द्वारा केवल शंका के आधार पर दो दलित युवकों को जूता की माला पहना कर उनके मुंह में मलमूत्र भर कर तथा सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया है, जो एक अमानवीय कृत्य है, एक तरफ वर्तमान सरकार द्वारा पिछड़े और दलितों के लिए हितैषी होने का नाटक करना और वही दूसरी तरफ दलित वर्ग के लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना, इनके दोहरे चरित्र का घिनौना रूप है यदि वास्तव में यह सरकार दलित हितैषी है तो यथाशीघ्र पूरे देश में दलित उत्पीड़न की हो रही घटनाओं को अविलम्ब रोके जाने और घटित घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाये।

(xxvii) Need to provide stoppage of trains at railway stations in Khagaria Parliamentary Constituency

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मैं भारत सरकार का ध्यान खगड़िया लोक सभा की अति महत्वपूर्ण समस्या पर ले जाना चाहता हूं। खगड़िया लोक सभा क्षेत्र से 7 नदियां गुजरती हैं, जो क्षेत्र को कई भागों में बांट देती हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण यातायात का साधन रेल है। खगड़िया से रेल की 6 लाइन बेगूसराय, सेरासा, जमालपुर, नवगछिया, हसनपुर तथा अलौली जिलों की दिशा की ओर निकलती है। खगड़िया स्टेशन रेलवे को अच्छे रेवेन्यू देने वाले स्टेशन में से है। यहां से तीन राजधानियां गुजरती हैं, परंतु किसी का ठहराव खगड़िया स्टेशन पर नहीं है। अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि खगड़िया स्टेशन पर 12423/12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर 12553/12554 वैशाली एक्सप्रेस, गोचरी स्टेशन पर 15713/15714 कटिहार पटना एक्सप्रेस, पसराहा रेलवे स्टेशन पर 13247/13248 कैपिटल एक्सप्रेस एवं 28181/28282 कटिहार टाटानगर एक्सप्रेस, कोपरिया स्टेशन पर 13205/13206 जनहित एक्सप्रेस तथा हसनपुर रोड स्टेशन पर 12523/12524 न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव जनहित में किया जाए। इन ट्रेनों का ठहराव पूरे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है।

(xxviii) Regarding recent incident of violence in Manipur

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Reservation has become a point of conflict across India, from delayed civic polls in Maharashtra to ethnic violence in Manipur. Manipur reported 142 deaths in June 2023 and no signs of reduction could be seen in July. With destruction of property and 54,000 displacements, the situation is grim. In the land of Mary Kom, violence against women has reached alarming levels. The state faces headlines of women being shot and raped in particular. A video on social media has caused immediate Government intervention to prevent its spread and yet, it took authorities 77 days for arrests in the case. I seek clarification from the Government on measures being taken to resolve this conflict. I urge them to formulate a plan to safeguard women in conflict zones and involve them in peace-building. Let's not forget Manipur's legacy of fearless women. It's our responsibility to stand up for them. Beti bachegi, tabhi toh padhegi.

(xxix) Regarding measures to give impetus to the textile sector

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): Textiles and apparel sector in India is facing a historically unprecendented financial crisis. This sector provides major employment. Ministry of Textiles reports that 45 million people are directly employed and 60 million are employed in the allied industries. Since 2014, these sectors have suffered a severe set back. Global market share of textile and apparel have declined significantly. Due to neglect and wrong policies. Demonetisation, GST, high cost of power, fluctuating cost of cotton and polyester. yarn etc. The 11% import duty imposed on cotton has created uneven competition in international market. Policies on polyester manufacturing sector and man made fibre add to the crisis. Russia - Ukraine war, international financial crisis, inflation etc have also impacted the sector. Banks refuse fresh credit to textile mills at a time when they most need financial support. To save the industry measures such as production of cotton yarn and value added products through NTC mills, withdrawal of imports duty of 11% on cotton, extension of moratorium on EMI offered for 3 years to 6 years, extension of one year moratorium to repay principal amount, provision of fresh loans through banks should be taken and policies should be made in consultation with the Textile Manufacturers Associations.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब लोग बैठ जाइए। कुछ चर्चाएं होनी हैं, कुछ बिलों पर चर्चा होनी है, कुछ विधायी कार्य होने हैं, जिनके लिए आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए। सदन को व्यवस्थित होने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

____

14.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप दो-तीन दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करुँगा कि वे सदन के सामने अपनी बात रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

… (व्यवधान)

14.31 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Kalyan Banerjee, Shri Dayanidhi Maran, Shri Mahabali Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के, दोनों तरफ के सदस्यों ने चर्चा की माँग की है।… (व्यवधान) मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ।… (व्यवधान) मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा नहीं करने देना चाहता है?… (व्यवधान) मेरा विपक्ष के नेता से आग्रह है कि वे चर्चा होने दें और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो इस विभाग के मंत्री हैं, वे ही चर्चा में भाग लेते हैं। नयी परम्परा की माँग करना और सदन को नियोजित तरीके से नहीं चलने देना देश और राष्ट्र के हित में नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यगण से पुन: आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन विषयों, मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने उसके लिए स्पष्ट कर दिया है कि मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहाँ की जनता की भलाई कर सकें। मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि आप लोग अपनी-अपनी सीट पर विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

<u>14.33 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 25, 2023/Sravana 03, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)